



भारतीय वन अधिनियम, 1927

भारतीय वन अधिनियम, 1927 का उद्देश्य वनोत्पाद की आवाजाही को नयित्तरण करना, उस पर शुल्क लगाना था। यह किसी क्षेत्र को आरक्षित वन, संरक्षित वन या ग्राम वन के रूप में घोषित करने के लिये अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की भी व्याख्या करता है।

इस अधिनियम में वन अपराध क्या है, किसी आरक्षित वन के अंदर कौन से कार्य नषिदिध हैं, और अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन पर दंडनीय है का विवरण दिया गया है। वर्ष 1865 में वन अधिनियम लागू होने के बाद, इसमें दो बार (वर्ष 1878 और 1927) संशोधन किया गया था।

इतिहास:

- **भारतीय वन अधिनियम, 1865:** वर्ष 1864 में स्थापित इम्पीरियल फॉरेस्ट डेपार्टमेंट ने विभिन्न वनमंडलों द्वारा वनों पर ब्रिटिश नयित्तरण स्थापित करने का प्रयास किया।
 - इसने ब्रिटिश सरकार को वृक्षों से आच्छादित किसी भी भूमि को सरकारी जंगल घोषित करने और उसके प्रबंधन के लिये नियम बनाने का अधिकार दिया।
- **भारतीय वन अधिनियम, 1878:** वर्ष 1878 के वन अधिनियम द्वारा, ब्रिटिश प्रशासन ने सभी बंजर भूमि की संप्रभुता हासिल कर ली जिसमें परभाषित वन भी शामिल थे।
 - इस अधिनियम ने प्रशासन को आरक्षित और संरक्षित वनों का सीमांकन करने में भी सक्षम बनाया। संरक्षित वनों के मामले में स्थानीय लोगों के अधिकारों को वापस ले लिया गया था, जबकि कुछ विशेषाधिकार जो सरकार द्वारा स्थानीय लोगों को दिए गए थे, जिनमें कभी भी वापस लिया जा सकता है।
 - इस अधिनियम ने वनों को तीन श्रेणियों- आरक्षित वनों, संरक्षित वनों और ग्राम वनों में वर्गीकृत किया। इसने वनवासियों द्वारा वनोपज के संग्रहण को वनियमति करने का प्रयास किया और इस नीति में वनों पर राज्य नयित्तरण स्थापित करने के लिये अपराध और कारावास तथा जुर्माने के रूप में घोषित कुछ गतिविधियाँ लागू की गईं।
- **भारतीय वन अधिनियम, 1927:** इस अधिनियम ने वन-नरिभर समुदायों के जीवन को प्रभावित किया। इस अधिनियम में दिये गए दंड और प्रक्रियाओं का उद्देश्य राज्य के वनों पर नयित्तरण के साथ-साथ वनों पर नरिभर लोगों के अधिकारों की स्थिति को कम करना था।
 - गाँव के समुदायों को जंगलों के साथ उनके युगों-पुराने साथ रहने वाले संघो से अलग कर दिया गया था। मुख्य रूप से वन-नरिभर समुदायों द्वारा वनों के स्थानीय उपयोग को रोकने के लिये अधिनियम में और संशोधन किए गए।
 - इसे वन कानूनों को अधिक प्रभावी बनाने और पूर्व के वन कानूनों में सुधार करने के लिये अधिनियमति किया गया था।

उद्देश्य:

- वनों से संबंधित पूर्व के सभी कानूनों को समेकित करना।
- औपनिवेशिक उद्देश्य के लिये उनके प्रभावी उपयोग हेतु सरकार को वनों के विभिन्न वर्गों को बनाने की शक्ति प्रदान करना।
- वनोत्पाद की आवाजाही, पारगमन, लकड़ी और अन्य वनोपजों पर आरोपित शुल्क को वनियमति करना।
- किसी क्षेत्र को आरक्षित वन, संरक्षित वन या ग्राम वन घोषित करने के लिये अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को परभाषित करना।
- आरक्षित वन के अंदर नषिदिध वन अपराधों को परभाषित करना और उल्लंघन पर दंड नरिधारित करना।
- वनों और वन्यजीवों के संरक्षण को अधिक जवाबदेह बनाना।

वनों के प्रकार:

- **आरक्षित वन:** आरक्षित वन सबसे अधिक प्रतबंधित वन हैं और किसी भी वन भूमि या बंजर भूमि पर जो सरकार की संपत्ति है राज्य सरकार द्वारा गठित किये जाते हैं।
 - आरक्षित वनों में, स्थानीय लोगों को किसी वन अधिकारी द्वारा विशेष रूप से अनुमति के बिना आवाजाही नषिदिध होती है।
- **संरक्षित वन:** राज्य सरकार को आरक्षित भूमि के अलावा किसी भी भूमि का गठन करने का अधिकार है, जिस पर सरकार का मालिकाना अधिकार है और ऐसे वनों के उपयोग के संबंध में नियम जारी करने की शक्ति है।
 - इस शक्तिका उपयोग ऐसे वृक्षों जिनकी लकड़ी, फल या अन्य गैर-लकड़ी उत्पादों में राजस्व बढ़ाने की क्षमता है पर राज्य नयित्तरण स्थापित करने के लिये किया गया है।
- **सुरक्षा का स्तर**

◦ आरक्षण वन> संरक्षण वन> ग्राम वन

■ वन बंदोबस्त अधिकारी

- वन नपिटान कार्यालय की नयुक्तराज्य सरकार द्वारा की जाती है, जिसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ता के पक्ष में या किसी आरक्षण वन में किसी भी व्यक्ता के पक्ष में किसी भी अधिकार के अस्तित्व, प्रकृता और सीमा का पता लगाना और नरिधारति करना होता है।
- जसि भूमि पर अधिकार का दावा कया जाता है, उसका अधगिरहण करने के लयि भी उसे अधिकार दया जाता है।

कमयाँ:

- सरकार ने दावा कया था क इस अधनयिम का उद्देश्य भारत के वनस्पतआवरण की रक्षा करना था। हालाँक, अधनयिम की गहरी जाँच से पता चलता है क अधनयिम के पीछे असली मकसद वृक्षों की कटाई और वनोपज से राजस्व अर्जति करना था।
- इस अधनयिम ने वन नौकरशाही को भारी वविक और शकत प्रदान की जसके कारण अक्सर वनवासयों का उत्पीड़न होता था।
- इसके अलावा, इसने खानाबदोशों और आदवासयों को वनों और वन उपज का उपयोग करने के उनके सदयों पुराने अधिकारों और वशेषाधिकारों से वंचति कर दया।
- लकड़ी से होने वाली राजस्व आय ने अन्य मूल्यों जैसे जैव ववधिता, मट्टी के कटाव की रोकथाम, आद की देखरेख की।

बाद की पहलें:

- **भारतीय वन नीति, 1952:** भारतीय वन नीति, 1952 औपनवशकि वन नीति का एक सरल वसितार थी। हालाँक, इसमें कुल भूमिक्षेत्र का एक तह्राई तक वन आवरण बढ़ाने का प्रावधान शामिल था।
 - उस समय जंगलों से प्राप्त अधिकतम वार्षकि राजस्व राष्ट्र की महत्त्वपूर्ण आवश्यकता थी। दो वशिव युद्धों, रक्षा की आवश्यकता, वकिसातमक परयोजनाएँ जैसे नदी घाटी परयोजनाएँ, लुगदी, कागज और प्लाईवुड जैसे उद्योग तथा राष्ट्रीय हति की वन उपज पर बहुत अधिक नरिभरता के परणामस्वरूप जंगलों के वशाल क्षेत्रों से राजस्व जुटाने के लयि राज्यों को मंजूरी दे दी गई।
- **वन संरक्षण अधनयिम, 1980:** वन संरक्षण अधनयिम, 1980 ने नरिधारति कया क वन क्षेत्रों में स्थायी कृषि वानकी का अभ्यास करने के लयि केंद्रीय अनुमतआवश्यक है। इसके अलावा उल्लंघन या परमटि की कमी को एक अपराध माना गया।
 - इसने वनों की कटाई को सीमति करने, जैव ववधिता के संरक्षण और वन्यजीवों को बचाने का लक्ष्य रखा। हालाँक यह अधनयिम वन संरक्षण के प्रतअधिक आशा प्रदान करता है लेकिन यह अपने लक्ष्य में सफल नहीं था।
- **राष्ट्रीय वन नीति, 1988:** राष्ट्रीय वन नीति का अंतिम उद्देश्य एक प्राकृतिक वरिसत के रूप में वनों के संरक्षण के माध्यम से पर्यावरणीय स्थरिता और पारस्थितिक संतुलन को बनाए रखना था।
 - राष्ट्रीय वन नीति, 1988 ने वनों और पर्यावरण प्रबंधन की पारस्थितिक भूमिका पर ध्यान केंदरति करने के लयि वाणज्यिक चत्ताओं से एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण और स्पष्ट बदलाव कया।
- वन संरक्षण से संबंधति कुछ अन्य अधनयिम इस प्रकार हैं:
 - वन्यजीव संरक्षण अधनयिम 1972, पर्यावरण संरक्षण अधनयिम 1986 और 2003 का जैव ववधिता संरक्षण अधनयिम।
 - **अनुसूचति जनजात और अन्य पारंपरिक वन नवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधनयिम, 2006:** यह वन-नवास अनुसूचति जनजातयों और अन्य पारंपरिक वनवासयों के वन अधिकारों और वन भूमि पर कब्जे को पहचानने के लयि बनाया गया है जो पीढ़यों से ऐसे जंगलों में रह रहे हैं।